

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

RH

क्रमांक :- F2(8)COMP/RHB/TAX-AUDIT-2024-25/73-02915/25

दिनांक :- 11/08/2024

**बिड आमंत्रण सूचना**

(UBM-RHB 24 25 SSO B00019)

राजस्थान आवासन बोर्ड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समस्त 41 इकाई कार्यालयों द्वारा संधारित वित्तीय लेखों के अंकेक्षण/कर-अंकेक्षण करवाने, वित्तीय लेखों (अंतिम लेखे) का सत्यापन-प्रमाणन करने, नोट्स/कमेंट्स ऑन एकाउंट्स तैयार करना, आयकर विवरणी तैयार कर, आयकर विभाग में प्रस्तुतीकरण संबंधी कार्य करने हेतु CAG में पंजीकृत सनदी लेखाकार फर्मों से, जो संलग्न निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करते हों, से मापदण्ड संबंधी तकनीकी प्रस्ताव एवं निर्धारित प्रारूप में वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 20.06.2024 को अलग-अलग दो सीलबन्द लिफाफे, जिन पर पृथक-पृथक तकनीकी प्रस्ताव वित्तीय प्रस्ताव अंकित करते हुए आमंत्रित किए जाते हैं। दोनों सीलबन्द लिफाफे **संकलन प्रकोष्ठ (मुख्यालय) तृतीय तल, कमरा नं. 417, ज्योति नगर, जयपुर** में सीलबन्द बॉक्स में दोपहर 1:00 बजे तक डाले जाने हैं। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को उसी दिन सायं 3.00 बजे उपस्थित प्रस्तावकों के समक्ष खोला जायेगा। वित्तीय प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें।

वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 26.06.2024 को मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे केवल उन सी.ए. फर्मों के खोले जावेंगे, जो तकनीकी मानदण्डों पर सफल रहेगी। प्राप्त तकनीकी व वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय आवासन आयुक्त महोदय का होगा। उक्त संबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय समय में टेलीफोन नं. 0141-2740488 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

**प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. CAG की वेबसाईट पर जयपुर के लिए पंजीकृत (Empanelled) सनदी लेखाकारों को उनके उपलब्ध "ई-मेल" पर प्रेषित।
3. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बिड आमंत्रण सूचना को मण्डल की वेबसाईट पर यथास्थान आज ही अपलोड करें।
4. आवासीय अभियन्ता-ई0प्रोक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बिड आमंत्रण सूचना को SPPP के पोर्टल पर आज ही अपलोड करें।

वित्तीय सलाहकार

RajKaj Ref  
7910196



Validity unknown

Digitally signed by Rontash Singh  
Yadav  
Designation : Financial Advisor  
Date: 2024.06.11 15:12:03 IST  
Reason: Approved



# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

## सन्दी लेखाकार फर्मों हेतु निर्धारित योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड

तकनीकी प्रस्ताव हेतु मापदण्ड :-

1. सी.ए.जी. में एमपैनलमेन्ट/रजिस्टर्ड होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।
2. फर्म जी.एस.टी. में पंजीकृत हो, का साक्ष्य प्रस्तुत करें।
3. संस्था/फर्म कम से कम 5 वर्ष पुरानी पंजीकृत होने का साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत करें।
4. फर्म में कम से कम पांच सी.ए. होना आवश्यक है, जिनमें से कम से कम तीन सी.ए. जयपुर मुख्यालय पर कार्यरत होने का साक्ष्य एवं पर्याप्त संख्या में Skilled Articles होने का साक्ष्य प्रस्तुत करें।
5. फर्म को आयकर सलाहकार/रिटर्नर के रूप में कम से कम दो राजकीय उपक्रमों/सरकारी बैंकों या 50 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले निजी उपक्रम का गत दो वर्ष का कार्यानुभव होने का साक्ष्य प्रस्तुत करें।

कार्य का विवरण :-

1. राजस्थान में स्थित बोर्ड के समस्त 41 इकाई कार्यालयों से प्राप्त आवश्यक दस्तावेज (केश बुक, लेजर, वाउचर्स) का मण्डल (मुख्यालय) ज्योति नगर, जयपुर पर अंकेक्षण/कर अंकेक्षण का कार्य करना है।
2. अंकेक्षण का कार्य माह जुलाई 2024 तक प्रत्येक कार्य दिवस में 02 इकाईयों का (राजकीय अवकाश को छोड़कर) प्रातः 10.00 से सांय 6.00 बजे तक पूर्ण किया जाना है।
3. बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम खाते विविध आयकर प्रावधानों का अनुसरण करते हुए परीक्षण करना।
4. वित्तीय अंतिम लेखों का सत्यापन/प्रमाणन एवं नोट्स/कमेंट्स ऑन एकाउण्ट्स करना।
5. वित्तीय वर्ष 2023-24 की आयकर विवरणिका प्रारूप सं. 3CB, 3CD एवं 10B में तैयार कर निर्धारित तिथि तक आयकर विभाग में प्रस्तुत करना।
6. स्वीकृत पारिश्रमिक समस्त कार्य सन्तुष्टीपूर्ण सम्पन्न कर, निर्धारित समयावधि तक आयकर विवरणी आयकर विभाग में दाखिल कर देने के उपरान्त देय होगा। स्वीकृत पारिश्रमिक के अलावा कोई TA/DA आदि देय नहीं होगा।

उप वित्तीय सलाहकार

RajKaj Ref  
7910176



Validity unknown

Digitally signed by Om Prakash Butolia  
Designation : Deputy Financial Advisor  
Date: 2024.06.10 14:16:55 IST  
Reason: Approved

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर RH

## - वित्तीय प्रस्ताव हेतु प्रपत्र -

कार्य का नाम : राजस्थान आवासन मण्डल के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखों का अंकेक्षण/कर-अंकेक्षण, वित्तीय अंतिम लेखों का सत्यापन/प्रमाणन, वित्तीय लेखों पर सी.ए. के नोट्स एवं कमेंट्स करना, आयकर विवरणी (फार्म 3CB, 3CD एवं 10B) तैयार करना एवं (आयकर विभाग द्वारा वांछित समस्त प्रपत्रों सहित) निर्धारित तिथि से पूर्व आयकर विभाग में प्रस्तुत करने का कार्य।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	वित्तीय प्रस्ताव
1.	<p>1. मण्डल के समस्त 41 इकाई कार्यालयों के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखों का अंकेक्षण एवं कर-अंकेक्षण करना।</p> <p>2. बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम खाते विविध आयकर प्रावधानों का अनुसरण करते हुए परीक्षण करना।</p> <p>3. वित्तीय अंतिम लेखों का सत्यापन/प्रमाणन एवं नोट्स/कमेंट्स ऑन एकाउण्ट्स करना।</p> <p>4. वित्तीय वर्ष 2023-24 की आयकर विवरणिका प्रारूप सं. 3CB, 3CD एवं 10B में तैयार कर निर्धारित तिथि तक आयकर विभाग में प्रस्तुत करना।</p>	<p>Consolidated remuneration Rs.</p> <p>-----</p> <p>+ GST Extra (In words.....)</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----) + GST Extra</p>

उप वित्तीय सलाहकार

अधिकृत सी.ए. के हस्ताक्षर एवं मोहर

opened by me quoted rate is Rs. ....+GST Extra

(in words .....)+GST Extra

उप वित्तीय सलाहकार

RajKaj Ref  
7910157



Validity unknown

Digitally signed by On Prakash Butolia  
Designation : Deputy Financial Advisor  
Date: 2024.06.10 14:20:01 IST  
Reason: Approved